न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 235/18 निर्णय दिनांकः–11.10.2018

1. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र रमजान अली जाति मुसलमान निवासी बीकानेर

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–11–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 11–11–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में बतौर भमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र

प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट सद्भावी काश्तकार नहीं है।

जिसके विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील दिनांक 07—05—1992 को इस आधार पर रिमाण्ड की गई कि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उक्त निर्णय की अनुपालना में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। जबकि अपीलांट सद्भावी कृषक है तथा बीकानेर जिले का मूल निवासी है। यदि अपीलांट को अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट द्वारा तमाम सबूत अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते।

जबकि इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—11—1998 के विरूद्व अपील दिनांक

19—04—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का

अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—11—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19—04—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा वर्ष 1985 में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 13—01—1986 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट् सद्भावी काश्तकार नहीं है।

अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(4) प्रकरण में अपीलांट स्वयं को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेशों की पालना में अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर वांछित सबूत प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातमहत द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के आदेशों के अनुसरण में अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया कि वे वांछित सबूत यथा भूमि प्रमाण पत्र व सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ताकि आवंटन संबंधी कार्यवाही की जा सके।

(5) प्रकरण में अपीलांट ना तो अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया और ना ही आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने, वांछित सबूतों के अभाव में अपीलांट का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 11—11—1998 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर